

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय व्ययक अनुभाग)

दिनांक 10.11.17

क्रमांक : प.4(231)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/  
कोषाधिकारी,  
सचिवालय, जयपुर।

(स्वीकृति संख्या 44) /2017-18)

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगमों को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में विभागीय स्तर पर काटी गयी राशि का समायोजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160) लेखा/डीएलबी/एसएफसी/2017/12439-63 दि० 12.09.2017 (प्रति संलग्न) के अनुसार राशि रुपये 3080.82 लाख (अक्षरे रुपये तीस करोड़ अस्सी लाख बयासी हजार मात्र) का निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुये निम्नानुसार बजट मदों में समायोजन/हस्तांतरण कर दिया जावे:-

विकलेय मद	जमा मद
मांग संख्या - 29	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण 2481.71 लाख
2217 - शहरी विकास	02. बजट मद 6217-03-191-(01)-[01] 20.65 लाख
80 - सामान्य	03. बजट मद 6217-03-191-(01)-[02] 6.19 लाख
191 - नगर निगम को सहायता	04. बजट मद 6217-03-191-(01)-[03] 35.11 लाख
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	05. बजट मद 6217-03-191-(01)-[04] 51.53 लाख
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	06. बजट मद 6217-03-191-(01)-[05] 54.57 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	07. बजट मद 0049-04-800-(11) 360.06 लाख
राशि रुपये 3080.82 लाख	08. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण 71.00 लाख
कुल योग-	राशि रुपये 3080.82 लाख

भवदीय

*(जसवन्त सिंह)*

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक RUDSICO जयपुर।
05. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
07. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
08. सुरक्षित पत्रावली।

*(जसवन्त सिंह)*  
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाइट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ 12439

दिनांक 14.09.2017

—:: स्वीकृति आदेश ::—

नगर निगमों को वर्ष 2017-18 में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से विभागीय स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ 11959-90 दिनांक 14.09.2017 (स्वीकृति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर राशि रुपये 3080.82 लाख की कटौति की गयी है।

उक्त राशि रुपये 3080.82 लाख (अक्षरे रुपये तीस करोड़ अस्सी लाख बयासी हजार मात्र) कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-  
**विकलेय मद**

जमा मद	
मांग संख्या - 29	01. कार्यकारी निदेशक RUDSICO, के निजी निक्षेप खाता संख्या 169 में हस्तांतरण योग्य राशि 2481.71 लाख
2217 - शहरी विकास	02. बजट मद 6217-03-191-01-01 20.65 लाख
80 - सामान्य	03. बजट मद 6217-03-191-01-02 6.19 लाख
191 - नगर निगम को सहायता	04. बजट मद 6217-03-191-01-03 35.11 लाख
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	05. बजट मद 6217-03-191-01-03 51.53 लाख
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	06. बजट मद 6217-03-191-01-05 54.57 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	07. बजट मद 0049-04-800-11 360.06 लाख
राशि रुपये 3080.82 लाख	(शहरी स्थानीय निकायो से ए.डी.बी. योजना के तहत प्राप्त ब्याज आरयूआईडीपी फेज-प्रथम)
	08. निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के निजी निक्षेप खाते संख्या 3792 में हस्तान्तरण योग्य राशि (CMAR के अंशदान एवं मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों हेतु) 71.00 लाख
कुल योग-	राशि रुपये 3080.82 लाख
कुल योग-	राशि रुपये 3080.82 लाख

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171700946 दिनांक 30.08.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(160)लेखा/DLB/SFC/2017/ 12440-63 दिनांक 14.09.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 3080.82 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन/हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
2. परियोजना निदेशक, RUIDP जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited (RUDSICO) जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. समन्वयक, CMAR निदेशालय, जयपुर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
9. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
10. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
11. प्रभारी आई टी प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय/पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी